भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2423
दिनांक 09.08.2005/18 श्रावण 1927 (शक) को उत्तर के लिए

मंत्रालयों/विभागों में सलाहकार समितियाँ

2423. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रालयों और विभागों के नाम क्या हैं जिनमें राजभाषा अधिनयम के उपबंधों के अनुसार अब तक सलाहकारी समितियों का गठन या पुनर्गठन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करके उक्त समितियों का गठन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावीत)

(क) राजभाषा अधिनियम, 1963 में हिंदी सलाहकार समितियों के गठन का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि केन्द्रीय हिंदी समिति के निदेशानुसार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है । जिन मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियाँ अभी तक गठित/पुनर्गठित नहीं हुई हैं, उनकी सूचना संलग्न अनुलग्नक पर दी गई है । सलाहकार समितियों में नामांकन के लिए विभिन्न संस्थाओं से गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन प्राप्त करना होता है, जिसमें समय लगता है ।

(ख) हिंदी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन का दायित्व संबंधित मंत्रालयों/विभागों का है । राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालयों/विभागों को विभिन्न स्तरों पर पत्र लिखकर समिति के गठन/पुनर्गठन के कार्य को पूर्ण करवाने के लिए अनुरोध कर चुका है ।

(ग) दिनांक **13.07.2004, 26.07.2004, 26.08.2004, 10.12.2004, 13.12.2004, 11.01.2005, 12.04.2005** को विभिन्न स्तरों पर पत्र लिखकर मंत्रालयों/विभागों से हिंदी सलाहकार समिति के शीघ्र गठन/पुनर्गठन के लिए कहा जा चुका है ।

अनुलग्नक

मंत्रालयों / विभागों में सलाहकार समितियों के बारे में श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 09.08.2005 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2423 के भाग (क) के उत्तर में
अनुलग्नक

मंत्रालय/विभाग, जहां पर हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन नहीं हुआ है

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय
2. पर्यटन मंत्रालय
3. परमाणु ऊर्जा विभाग ॐ अंतरिक्ष विभाग
4. कोयला मंत्रालय
5. डाक विभाग
6. दूरसंचार विभाग
7. रक्षा उत्पादन विभाग
8. आर्थिक कार्य विभाग
9. गृह मंत्रालय
10. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
11. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
12. श्रम और रोजगार मंत्रालय
13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
14. योजना मंत्रालय
15. वस्त्र मंत्रालय
16. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
17. जनजातीय कार्य मंत्रालय
18. कंपनी कार्य मंत्रालय
19. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
20. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
21. पंचायती राज मंत्रालय